

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

बनाम दीतरलाल देवीलाल

किस्म मुकदमा:- इजराय आदेश -21 नियम-11

नम्बर.....19.....सन 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर:- 2025/260

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/07/2025	<p>इजराय सीगे से बाद जाँच पेश हुई। अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर कि जाकर डिक्री एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को भेजकर पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 31/07/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा</p>	
31/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट भ्रामात्री दिनांक 14/8/25 को पेश हो।</p>	
14/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट भ्रामात्री दिनांक 4/9/25 को पेश हो।</p>	
4-9-25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियाँ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 25/9/25 को वास्ते पालना रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ</p>	
25/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 27/10/25 को वास्ते पालना रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ</p>	
27/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियाँ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 24/11/25 को वास्ते पालना रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ</p>	

24/11/2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक परिवार बिजौलिया
 द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक
 23/12/2022 को वास्तु... पेश हो।
 उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया

19/11/25

पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया
 से पत्रावली प्राप्त हुई। जितने खर्च पत्रावली
 किया गया। पत्रावली में शामिल - दामा 90
 दिया है पत्रावली जम्मा से कम है, 60
 54 48 17

उप खण्ड अधिकारी
 बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/रीडर/2025/1467

दिनांक: 18/07/2025

विषय:-

तहसीलदार
बिजौलियां।

विषय:- इजराय प्रकरण संख्या 19/2025 छीतर पिता नन्दा बनाम देबीलाल पिता भवानी की पालना किये जाने बाबत।

तहसीलदार,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इजराय प्रकरण संख्या 19/2025 छीतर पिता नन्दा बनाम देबीलाल पिता भवानी की पालना की पालना बाबत मूल घाद प्रकरण संख्या 16/2012 वात्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 23.06.2025 के निर्णय एवं डिक्री की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः किसी अन्य न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं होने पर नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट दिनांक 31.07.2025 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

संलग्न:- निर्णय एवं डिक्री की फोटो प्रति।


(अजीत सिंह राठौड़)
बिजौलियां